

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/2021/127

1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री प्रकाश कासोटिया पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण आयु 32 वर्ष, जाति रैगर, हाल निवासी ग्राम लूणियावास, गोनेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

- वादीगण -

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरया जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. परमानन्द पुत्र श्री डालूराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा, पोस्ट दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. रामस्वरूप पुत्र श्री नाथू, जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. सीताराम पुत्र श्री नाथू, जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत् घोषणा, तकासमा, इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

एवं आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

सिविल प्रक्रियां संहिता

निर्णय -

दिनांक : 11.04.2022

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रियां संहिता पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादीया द्वारा उक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष बाबत् घोषणा, तकासमा, इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा खसरा नंबर 141 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 142 रकबा 0.09 है0, 142/521 रकबा हैक्टेयर, 142/522 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 141/523 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है के

सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

संबंध में निम्न अनुतोष के साथ वाद प्रस्तुत किया गया है जो अनुतोष निम्न प्रकार से है :-

(क) यह कि घोषित किया जावे कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से वादीया का वादग्रस्त भूमि में 1/4 है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम इन्द्राज करवाने की वादीया अधिकारी है जो वादीया के नाम इन्द्राज किया जावे।

(ख) वादीया के पिता से खसरा नंबर 141/523 व 142/522 को जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम पंजीकृत करवाया है वह वादीया के हक व हिस्से की सीमा तक प्रभावहीन व शून्य है।

(ग) यह कि वादग्रस्त भूमि का भीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा कराया जाकर वादीया के हिस्से का अलग खाता कायम किया जावे।

(घ) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे, ना ही भांरित करे, तथा ना ही वादग्रस्त भूमि में कोई निर्माण करे तथा वादीया के कब्जे काश्त में व उपयोग में किसी भी प्रकार से बाधा कारित नहीं करें।

(ड) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय हाजा न्यायहित में वादीया को दिलाना न्यायोचित समझे वह भी दिलावे तथा इस दावे का हर्जा खर्चा प्रतिवादी संख्या 2 से दिलाया जावें।

उक्त वर्णित उनवानी वाद के अन्तर्गत वादीया को उक्त वर्णित अनुतोष किसी भी आधार पर प्राप्त करने की हकदार नही है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं कर्ता है तथा कर्ता अपनी पारिवारित निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी स्वयं की सम्पति का बेचान, रहन, बख्शीश, हस्तान्तरित करने का पूर्ण हक व अधिकार रखता है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि दिनांक 14.10.2014 को प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 के हक में खसरा नंबर 141/523 एवं 141/522 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जिस पर वादीया के पिता द्वारा गोद लिये गये व्यक्ति कमलेश रैगर पुत्र श्री सीताराम के हस्ताक्षर है एवं उक्त प्रतिफल राशि प्राप्त करते समय स्वयं वादीया एवं वादीया की माता श्रीमती पारा देवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित थे वादीया को भली भांति पूर्व में ज्ञात था कि वादीया के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में खातेदारी कृषि भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया है जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं एक फौजदारी प्रकरण के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान लेखबद्ध करवाये कि वर्ष 2014 में मैने मेरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान कर दी थी परन्तु वादीया के नियत में खोट आने एवं प्रतिवादी संख्या 2 से रूपये हड़पने की गरज से सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कन्सीलमेन्ट ऑफ फेक्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने

सहायक क्लर्क  
जयपुर शहर द्वितीय

योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2 के साथ दिनांक 11.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकरारनामा बिचौती निष्पादित किया गया जिसके अन्तर्गत पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 के हक में निष्पादित किये गये विक्रय पत्र को स्वीकार करते हुए अन्य खसरा नंबर की भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित हेतु इकरारनामा बिचौती तैयार किया गया जिस पर स्वयं वादीया श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी प्रकाश, वादीया के प्रति प्रकाश चन्द पुत्र श्री कजोड मल, एवं वादीया की माता श्रीमती पारा देवी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार वादीया को भली भांती सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 2 को हैरान परेशान एवं रूपये हड़पने के उद्देश्य से उक्त झूठ तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है जो वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 22.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा खसरा नंबर 141 रकबा 0.12 हैक्टेयर का विक्रय पत्र मोहन पुत्र बिरदा एवं छोटूराम पुत्र बिरदा, लल्लू पुत्र बिरदा के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जिस पर स्वयं वादीया के गवाह के बतौर हस्ताक्षर है। इसके बावजूद भी वादीया द्वारा उक्त उनवानी वाद के अन्तर्गत उक्त वर्णित व्यक्तियों को बिना पक्षकार बनाये हुए वाद पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही मिस ज्योर्डर के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीया द्वारा वर्ष 2020 में पुलिस थाना रामनगरिया में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध इकरारनामा बिचौती दिनांक 11.01.2020 के संबंध में दर्ज करवायी गई। जिसके अन्तर्गत पुलिस थाना रामनगरिया द्वारा पूर्ण अनुसंधान करने के बाद अन्तिम रिपोर्ट नेगेटिव सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार जब वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 को पुलिस थाना रामनगरिया में बिठाकर पूछताछ की गई तो वादीया द्वारा पुलिस थाना रामनगरिया के अन्तर्गत स्वीकार किया कि मेरे पिता द्वारा पूर्व में वर्ष 2014 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के हक में निष्पादित करवाया जा चुका है। इस प्रकार वादीया द्वारा षडयन्त्र पूर्वक तरीके से अन्य भूमाफियाओं से मिलकर प्रतिवादी संख्या 2 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से मिथ्या कथनो के आधार पर उक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है। वादीया द्वारा माननीय न्यायालय से तथ्य छिपाते हुये पूर्व में सम्पूर्ण खसरा नंबरों के बेचान पर स्थगन आदेश दिनांक 28.12.2021 को प्राप्त कर लिया। इसके बाद जब दिनांक 22.09.2021 को जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित जिन व्यक्तियों के हक में किये गये उन व्यक्तियों को ना तो उक्त वाद में पक्षकार बनाया ना ही उक्त विक्रय पत्रों का सम्पूर्ण वाद में उल्लेख किया गया। जब उक्त व्यक्तियों का वादीया पर दबाव आया तो वादीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 151 का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2021 को प्रस्तुत कर अन्य तीन खसरा नंबर कमरा 141, 142, 142/521 से स्थगन आदेश विद्वा कर लिया एवं केवल प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध खसरा नंबर 141/523 एवं 142/522 पर ही स्थगन चाहा है तथा

सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

न्यायालय से यथास्थिति के आदेश प्राप्त कर लिये जो वादीया की बदनियति को स्पष्ट दर्शित करता है। ऐसी स्थिति में वादीया माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं है। वादीया प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हुये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2014 से किसी प्रकार से व्यथित है उक्त विक्रय पत्र को सुनने एवं प्रभावहीन करवाने हेतु समक्ष न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त उनवानी वाद के अन्तर्गत वादीया केवल प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने की हकदार नहीं है। क्योंकि वादीया जिस आधार पर वाद प्रस्तुत किया है उसमें वह आंशिक अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार वाद पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। वादीया ने अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि खसरा नंबर 142/522 में पुश्तैनी मकान बना हुआ है जिसमें वादीया के माता पिता निवास कर रहे हैं जबकि वादिया के पिता द्वारा पुश्तैनी मकान आबादी भूमि में बना रखा है जिसका वादीया के पिता एवं वादीया के बड़े पिताजी के नाम से ग्राम पंचायत दांतली द्वारा दिनांक 22.10.1981 में पट्टा जारी किया हुआ है जिस पर वादीया के पिता एवं वादीया के बड़े पिता द्वारा संयुक्त मकान बना हुआ है इस प्रकार खसरा नंबर 142/522 पर किसी प्रकार का कोई मकान वादीया के पिता द्वारा नहीं बनाया गया है। जब हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.01.2022 को सीमाज्ञान किया गया जिसके अन्तर्गत भी स्पष्ट हो गया है कि वादीया के पिता द्वारा बनाया गया मकान खसरा नंबर 142/522 की सीमा से बाहर आबादी भूमि में स्थित है। इस प्रकार वादीया द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए एवं गलत तथ्यों का उल्लेख करते हुए वाद पेश किया है जो प्रथम दृष्टया की निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वाद कारण के अभाव में पोषणीय नहीं होने के कारण वाद पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान फरमावें। अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादग्रस्त भूमि स्वीकृत रूप से पुश्तैनी भूमि है, जिसमें बाई बर्थ वादिया का हक व हिस्सा निहित है। वादिया ने अपना हिस्सा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कमलेश रेगर से मिल कर प्रतिवादी नंबर 1 से सद्व्यवहार व सहानुभूति प्राप्त की तथा अपने सद्व्यवहार के चलते विश्वास में लेकर वादग्रस्त भूमि में से खसरा नंबर 142/522, 141/523 रकबा 0.31 हैक्टेयर का नुमाईसी विक्रय पत्र पंजीकृत कर लिया, जिसकी जानकारी होने पर वादिया ने पुलिस में रिपोर्ट की तथा पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर न्यायालय हाजा के समक्ष दावा दायर किया तथा जब दिनांक 16.01.2022 को प्रतिवादी नंबर 2 जेसीबी लेकर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने आया, तब गांव वालों की मदद से कब्जा रोका तथा न्यायालय हाजा के समझ शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

वस्तुस्थिति से अवाप्त कराया, जिस पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला मान कर दिनांक 17.01.2022 को अन्तरिम स्थगन आदेश में संशोधन किया। जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बेचान को कर्ता की हैसियत में विक्रय का अधिकार बताया गया है वह उसी स्थिति में उचित माना जा सकता है जब परिवार के हितार्थ हस्तांतरण संयुक्त सहमति से किया जावे। विक्रय पत्र में कर्ता की हैसियत से बेचान नहीं किया गया है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 से धोके से बिना प्रतिफल अदा किये विक्रय पत्र पंजीकृत कराया है तथा वादग्रस्त भूमि पर आज तक वादिया व उसके पिता का स्वीकृत रूप से कब्जा काशत है। प्रतिफल राशि वादिया की उपस्थिति में देना मिथ्या लिखा है। यही नहीं बल्कि वादिया की पुलिस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि विक्रय मूल्य अदा किया जाना शेष है। सही तथ्य यह है कि जब वादिया को यह पता चला कि वादिया के पिता से धोखाघड़ी से विक्रय पत्र पंजीकृत करा लिया व विक्रय राशि भी अदा नहीं की तो वादिया ने जात बिरादरी के लोगो को न्याय दिलाने को कहा जिस पर प्रतिवादी नंबर 2 ने विक्रय राशि बकाया होना स्वीकार किया तथा विश्वास में लेकर धोखे से वादिया के हस्ताक्षर करा लिये तथा जब जात बिरादरी के समझ हुये समझौते की पालना प्रतिवादी नंबर 2 ने नहीं की व जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हुआ तब न्यायालय की शरण ली हैं। जिस विक्रय पत्र का हवाला दिया गया है, वह परिवारजन में हुए समझौते के तहत निष्पादित हुआ है, जिसमें वादिया की सहमति है तथा खसरा नंबर 141, 142 बाबत वादिया ने अनुतोष विद्वा भी कर लिया है, मिसजोर्डेण्डर दावा खारिज होने का आधार नहीं है। दावे में कभी भी पक्षकार जोड़े व हटाये जा सकते है। पुलिस के समक्ष कभी भी वादिया ने यह स्वीकार नहीं किया कि विक्रय पत्र की जानकारी उसे वर्ष 2014 में हो गयी थी, बल्कि पुलिस से सांठ गांठ कर इस प्रकार के तथ्य लिखवाये व एफ.आर. सिविल नेचर में पेश करा दी, जिसको खुलवाने के लिये प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर दी है तथा यह आधार खारिज करने का किसी भी कानूनी आंकड़े से वैध आधार नहीं है। वादिया ने स्पष्ट लिखा है कि अगस्त 2020 में जब विक्रय पत्र की जानकारी हुई तब वाद कारण उत्पन्न होने के तथ्य को दावे में नहीं लिखा जावे। इस आधार पर दावा खारिज हो सकता है परन्तु जब वाद कारण स्पष्ट रूप से उत्पन्न होना लिखा जावे वहां वाद कारण के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त स्थिति में साक्ष्य आने पर ही तय किया जा सकता है कि वर्णित दिनांक को वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ या नहीं साबित होना है वादिया ने जो दस्तावेजात अपने अभिभाष्य हो दिये उसमें विक्रय पत्र दिनांक 22.09.2021 नहीं दिया, ना ही इस विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ, इसलिये दावे में उक्त खसरा नंबर लिख दिये गये। जब इस की जानकारी वादिया को कंतागण के माध्यम से हुई तो वादिया ने 151 के प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि

सहायक क्लर्क  
जयपुर शहर द्वितीय


बाबत अनुतोष विज्ञा कर लिया। यह एक सद्भाविक त्रुटि है, जिसे दुरुस्त कराने का वादिया को अधिकार है। इस आधार पर दावा खारिज करना विधि सम्मत नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करें।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा, तकासमा, इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया की पुश्तैनी भूमि जिसके हाल खसरा नंबर 141, 142, 142/521, 142/522, 141/523 कुल किता 5 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर है उक्त भूमि में वादिया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। वादिया के माता पिता वृद्ध है तथा वादिया ही अपने पिता की एकमात्र वारिस है। प्रतिवादी संख्या 2 परमानन्द ने भूमि खसरा नंबर 141/523 व 142/522 रकबा 0.31 हैक्टेयर का नुमाईसी विक्रय पत्र पंजीकृत करा लिया तथा शीघ्र ही राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण खुलवा लिया जबकि खसरा नंबर 142/522 में पुश्तैनी मकान बना है। वादीया ने वाद में 1/4 हिस्से की घोषणा व विक्रय पत्र को वादिया के हक हिस्से की सीमा तक प्रभावहीन व शून्य घोषित करने हेतु निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया ने अपनी पुश्तैनी भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर में अपने हिस्से 1/4 तक घोषणा चाही है व खसरा नंबर 141/523 व 142/522 रकबा 0.31 हैक्टेयर अपने हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 2 को किये गये विक्रय पत्र को शून्य व प्रभावहीन करने हेतु निवेदन किया है। जबकि विक्रय पत्र को शून्य व प्रभावहीन सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसे में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं है इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रियां संहिता स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद बार्ड बॉय लॉ होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

डिक्री मुकदमा इब्दादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

श्रीमती मुन्नी देवी

बनाम

लक्ष्मीनारायण वर्ग

दावा बाबत घोषणा, तकासमा, इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

एवं आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

सिविल प्रक्रियां संहिता

मुकदमा नम्बर - दावा/2021/127

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल-। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रियां संहिता स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद बार्ड बाँय लों होने से खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज \_\_\_\_\_ मुबलिंग \_\_\_\_\_ बाबत \_\_\_\_\_  
खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह \_\_\_\_\_ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक \_\_\_\_\_ का अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.04.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत \_\_\_\_\_  
ओहदा \_\_\_\_\_ सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर-द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान	00		मीजान	

\_\_\_\_\_ सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय